इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई 2017—श्रावण 3, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

अधि. क्र. 77/एफ 01-29/2014/18-3.—

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 427 एवं 430 के साथ पठित धारा 431 एवं 432 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगरपालिक निगम खण्डवा, एतद्द्वारा, जलमापन तथा नल संयोजन का नियमितीकरण उपविधियां, 2014 मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना क्र. 90—एफ. 1--20—2014 अठारह—3, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त उपविधियों में, —

1. उपविधि 1 में खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम जलमापन तथा नल संयोजन का नियमितीकरण उपविधियां, 2017" है।"

2. उपविधि में 2 खण्ड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(थ) "मूल्य पुनरीक्षण समिति" से अभिप्रेत है, 4 सदस्यों अर्थात 1.आयुक्त/मुख्य लेखा अधिकारी 2. के. एम. सी. इंजीनियर 3. मुख्य नगर पालिक निगम मुख्य ऑडिटर तथा 4. रियायतग्राही के एक प्रतिनिधि से मिलकर बनने वाली समिति;" ।

3. उपविधि 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपविधि स्थापित की जाये, अर्थात् :–

3. **रियायतग्राही के कर्त्तव्य–** नगरपालिक निगम, खण्डवा उक्त अधिनियम की धारा 221 से 239 तथा धारा 241 से धारा 245 के साथ धारा 220 की उपधारा (ग) के अधीन ये उपविधियां जारी कर रहा है। निगम, रियायतग्राही के साथ निम्नलिखित कर्त्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने तथा जल प्रदाय के संचालन और संधारण में अपने अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए करार कर रहा है, अर्थात् :–

(क) निगम, रियायतग्राही को, आशयित "वाणिज्यिक संचालन की तारीख" (सीओडी) को जल प्रदाय व वितरण प्रणाली सौंपेगा। वाणिज्यिक संचालन की तारीख से उपभोक्ताओं से मासिक आधार पर जल प्रभार वसूल करने और संग्रहीत करने का कार्य रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा। रियायत की अवधि का अवसान हो जाने के पश्चात् रियायतग्राही इस प्रणाली को अच्छी एवं चालू हालत में (जिसका निर्धारण निगम द्वारा समिति गठित कर किया जायेगा, जिसमें रियायतग्राही का प्रतिनिधि होगा) बिना किन्ही दायित्वों के निगम को सौंपेगा।

(ख) रियायतग्राही, समस्त उपभोक्ताओं को सर्विस पाइंट से 12 मीटर की ऊंचाई तक 24 घण्टे तथा 7 दिन "पर्याप्त दबाव" के साथ जल प्रदाय उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही का यह दायित्व होगा कि वह वितरण प्रणाली को इस प्रकार सुनिश्चित और संधारित करें, जिससे कि उपभोक्ता को जल प्रदाय के समय कम से कम 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति मिल सके। आवश्यक सुधार/परिशोधन का कार्य शिकायतकर्ता के व्यय पर शिकायत से 3 दिन के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

(ग) रियायतग्राही समस्त जल उपभोक्ताओं के लिये, वाणिज्यिक संचालन की तारीख के प्रारंभ तक मीटर लगाया जाना सुनिश्चित करेगा। रियायतग्राही, उपभोक्ताओं को खण्ड 14 (3) में यथाविनिर्दिष्ट पानी के मीटर की गणना के अनुसार अथवा फ्लेट रेट से मासिक देयक देगा। जल प्रभार, रियायत अनुबंध के अनुसार समय–समय पर पुनरीक्षित किए जाएंगे। देयक के अतिरिक्त जल प्रभारों में खण्ड 7 (2) में यथाविनिर्दिष्ट मीटर की कीमत तथा पुनर्संयोजन प्रभार सम्मिलित होगे।

(घ) सम्पूर्ण नगरपालिक निगम क्षेत्र में, "सी पी एच ई ई ओ मैनुअल आन वाटर सप्लाई एण्ड ट्रीटमेंट, मई 1999" के अनुसार शुद्ध तथा फिल्टर किया हुआ जल प्रदाय किया जाएगा। यह जल प्रदाय आई. एस..10500 (यथा संशोधित) में विनिर्दिष्ट गाइडलाइनों के अनुसार किया जाएगा।

(ङ) सम्पूर्ण वितरण प्रणाली को 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकता से एक ओवर हैड एलीवेटेड सर्विस रिजरवायर (ई एस आर) से प्रदाय किया जाएगा। सम्पूर्ण नगरपालिक निगम क्षेत्र को 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित किया जाएगा, इन क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक रियायतग्राही का मुख्य कार्यालय होगा। समस्त क्षेत्रों तथा मुख्य कार्यालय में शिकायतें सुनी जाएगी और उनका निराकरण किया जाएगा. उपभोक्ताओं के देयक यहां से वितरित किए जाएंगे ओर जल प्रभार भी संग्रहीत किए जाएंगे।

(च) प्रत्येक उपभोक्ता को उसके परिसर में जल प्रदाय के लिए निगम के साथ एक अनुबंध (उपभोक्ता अनुबंध) करना होगा। जिसे रियायतग्राही द्वारा सुगम बनाया जाएगा। विद्यमान वैध उपभोक्ताओं पर नवीन अनुबंध हेतु कोई शुल्क प्रभारित नही किया जाएगा।

(छ) निगम समस्त अवैध संयोजनों को वैध संयोजनो में संपरिवतर्तित करेगा। रियायतग्राही समस्त अवैध संयोजनों को वैध संयोजनों में संपरिवर्तित करने के निगम को पूर्ण सहायता प्रदान करेगा।

(ज) रियायतग्राही को जल प्रदाय, जल प्रभारों, मीटर संस्थापन प्रभारों के संग्रहण तथा विच्छेदन का प्राधिकार होगा. उपरोक्त समस्त कार्य निगम के पर्यवेक्षण में किए जाएंगे।

(झ) रियायतग्राही को खण्डवा के नगरपालिक निगम क्षेत्र में जल प्रदाय करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि नगरपालिक निगम क्षेत्र में किसी नई सुविधा के निर्माण या विद्यमान सुविधाओं की क्षमताओं में विस्तार के रूप में किसी प्रकार की कोई सदृश प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित नहीं की जाएगी। इसका यह अर्थ होगा कि निगम के भीतर जल प्रदाय तथा वितरण के लिए किसी प्रकार की कोई नई सदृश प्रतिस्पर्धी सुविधा अनुज्ञात नहीं की जाएगी। स्वामी के निजी नलकूपों को बंद नहीं किया जाएगा। निगम अथवा रियायतग्राही द्वारा इन्हें हस्तगत नहीं किया जाएगा तथा निजी मालिक अन्य लोगों को केवल घरेलू उपयोग के लिए निःशुल्क जल प्रदाय कर सकेंगे। समस्त सार्वजनिक कुंए, तालाब व हैण्ड पम्प वर्तमान व्यवस्था के अनुसार चलते रहेंगे। ये सुविधाएं रियायतग्राही को नहीं सौंपी जाएंगी।

(ञ) रियायतग्राही द्वारा जल प्रदाय का सम्पूर्ण संचालन व संधारण कार्य निगम के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। रियायतग्राही द्वारा उपभोक्ताओं की समस्त शिकायतें दूर की जाएंगी। यदि रियायतग्राही द्वारा शिकायतें दूर नहीं की जाएं तो यह अनुबंध अनुसार नगरनिगम द्वारा दूर की जाएंगी।

(ट) निगम और रियायतग्राही के बीच के " रियायग्राही अनुबंध " की समस्त शर्ते खण्ड और अनुसूचियां, इन उपविधियों के अधीन लागू होंगी।

(ठ) इस जल प्रदाय योजना में कोई गैर–राजस्व की व्यवस्था नहीं होगी। किन्तु समुचित स्थानों और समय पर धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों के लिए निगम जल प्रदाय की वर्तमान प्रणाली के अनुसार जल का प्रदाय करेगा। निगम, जल प्रदाय की वर्तमान प्रणाली के अनुसार उद्यानों, प्याऊ, फायर ब्रिगेड तथा सार्वजनिक उपयोगिता वाले शौचालयों के लिए भी जल प्रदाय करेगा। इस प्रकार के उपभोक्ता, जल प्रदाय के संबंध में संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्वंतत्र होंगे तथा निगम और रियायतग्राही उन्हें अपने अधीन नहीं करेंगे किन्तु इस प्रकार के उपभोक्ता अन्य लोगों को, किसी भी रूप में भुगतान के आधार पर जल प्रदाय नहीं करेंगे।

(ड) राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर वाणिज्यिक संचालन की तारीख तक अन्तवर्ती अवधि कहलाएगी. इस समय के दौरान वैध संयोजनों में मीटर लगाए जाएंगे तथा अवैध संयोजनों को नियमित किया जाएगा और उनमें मीटर लगाए जाएंगे।

(ढ) रियायतग्राही मीटर संस्थापित करने तथा अवैध जल संयोजनों को नियमितीकरण करने एवं उन्हें मीटर उपलब्ध कराने के कृत्य नीचे उल्लिखित निबंधनों अनुसार प्रारंभ करेगा :–

(एक) रियायतग्राही मीटर संस्थापित करने तथा अवैध जल संयोजनों का नियमितीकरण करने तथा उन्हें मीटर उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ करेगा।

(दो) रियायतग्राही, अपने मजदूरों व कर्मचारिवृन्द को जल संयोजनों का नियमितिकरण करने का नोटिस देने तथा उपभोक्ता के परिसरों में मीटर संस्थापित करने के काम में लगाएगा।

(तीन) ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में, जो रियायतग्राही से मीटर लगवाने को सहमत नहीं हों, वहां इस प्रक्रिया को निगम पूर्ण करेगा अन्यथा रेट 200.00 रूपये प्रतिमाह की फ्लेट दर से शुल्क लिया जाएगा जो कि बीपीएल उपभोक्ता की स्थिति में आधा होगा। जिसे समय समय पर, दर मानीटरिंग समिति द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(चार) रियायतग्राही, अवैध जल संयोजनों के नियमितीकरण, उपभोक्ताओं के मीटर संस्थापन तथा शेष राशि की वसूली का अभिलेख रखेगा।

(पांच) रियायतग्राही निगम को जो उपभोक्तओं के परिसरों में संस्थापित किए गए मीटर के देयक एकत्र करेगा जो प्रतिपूर्ति के लिए निगम को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(छह) रियायतग्राही मीटर तथा अन्य रक्षित का 10 प्रतिशत वैकल्पिक इकाई के रूप में रखेगा।''

(4) उपविधि 4 के स्थान पर निम्नलिखित उपविधि स्थापित की जाए, अर्थात् :–

''4. निगम के मुख्य कृत्य –

(क) निगम, राजपत्र में, अधिसूचित किए जाने से 6 मास की कालावधि के भीतर, मीटर संस्थापित करके अवैध जल संयोजनों को नियमित करने के लिए तथा एक आम माफी योजना तैयार और घोषित करेगा। यह अवधि आम माफी कालावधि कहलाएगी। इस मीटर संस्थापित किये जाने की कालावधि के दौरान उपभोक्ताओं से उपविधियों में संशोधन के अनुसार फ्लेट दर प्रभारित की जाएगी।

(ख) राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तारीख से निगम, रियायतग्राही को मीटर लगाने में मदद करेगा। निगम, रियायतग्राही की सहायता से अवैध संयोजनों को नियमित करने का कार्य करेगा। इस प्रकिया के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा अनुबंध करने की प्रक्रिया की जाएगी। इस कार्य हेतु फीस के साथ समस्त आवेदन निगम के कार्यालय में प्रस्तुत और जमा किए जाएंगे।

(एक) जल संयोजन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे ओर स्वयं निगम द्वारा इसकी अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

(दो) मीटर की कीमत तथा जल संयोजन प्रभार निगम तथा रियायतग्राही के खाते में जमा किए जाएंगे।

(तीन) निगम, रियायतग्राही को उपभोक्ताओं की सूची उनके पते, काशनमनी तथा शेष राशि की जानकारी के साथ, उपलब्ध कराएगा।

(चार) निगम जल संयोजनो के नियमितीकरण के लिए नोटिस जारी करने के लिए रियायतग्राही एजेन्सी के कर्मचारिवृन्द तथा मजदूरों की मदद करेगा।

(पांच) मीटर संस्थापित किए जाने में उपभोक्ता का रियायतग्राही के कर्मचारिवृन्द तथा मजूदरों से कोई विवाद या असहमति की दशा में निगम उक्त विवाद का समाधान करेगा।

(छह) निगम, प्रत्येक तिमाही कालावधि पर रियायतग्राही को कीमत और संस्थापन प्रभार (सारणी "ख' के अनुसार प्रति मीटर के लिए यथानिर्धारित) अन्तरित करेगा।

(सात) निगम, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वाणिज्यिक संचालन की तारीख तक जल प्रभारों के समस्त बकाया प्राप्त और जमा करेगा.

(ग) निगम तथा रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से निर्वहन किए जाने वाले कृत्य :-

(एक) निगम के समस्त वैध/अवैध संयोजन नियमित किए जाएंगे तथा वाणिज्यिक संचालन की तारीख तक मीटर संस्थापित किए जाएंगे।

(दो) इस जल प्रदाय योजना के अधीन मीटर के संस्थापन और विकास का कार्य, उपभोक्ता के फायदे के लिए एक साथ किए जाएंगे ताकि उपभोक्ता मीटर संस्थापित करवाने में रूचि ले। कार्य प्रणाली के लिए निगम तथा रियायतग्राही क्रमशः सहमत होंगे।

स्पष्टीकरण -इस प्रयोजन के लिए दो प्रदर्शन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे जिसमें अधिकतम मीटर संयोजन संस्थापित किए जाएंगे, किन्तु जल प्रदाय की मात्रा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

5. उपविधि 5 में,-

(1) विद्यमान शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
प्रभार तथा जल प्रभारों का उद्ग्रहण-"

(2) खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(1) कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन निगम/रियायतग्राही के कार्यालय में, स्थायी/नए अस्थायी जल संयोजन के लिए अथवा वर्तमान जल संयोजन के अंतरण के लिए अथवा जल संयोजन में किसी परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।"

6. उपविधि 6 में खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखिंत खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1) नया संयोजन अनुमोदित होने के पश्चात् रियायतग्राही को उपभोक्ता को ऐसे अनुमोदन के 15 दिवस के भीतर जल संयोजन देना होगा।

7. उपविधि 7 में खण्ड (4) तथा (5) के स्थान पर, नम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(4) मीटर संस्थापित करने की प्रक्रिया, जल मापन तथा जल संयोजन का नियमितीकरण उपविधियां, 2017 के अनुसार होगी। उपभोक्ता, काशनमनी की राशि निगम कार्यालय में जमा करेगा और उसकी रसीद प्राप्त करेगा। रसीद का परीक्षण करने के पश्चात् नगरपालिका निगम

और रियायतग्राही, आवेदक को मीटर लगाने के लिए सूचित करेगा। मीटर संस्थापित करने के लिए अपेक्षित मूल्य एवं मजदूरी रियायतग्राही द्वारा वहन की जावेगी जिसकी कि प्रतिपूर्ति निगम द्वारा की जावेगी। नवीन संस्थापित मीटर की वारंटी 1 वर्ष के लिए होगी और वारंटी कालावधि के दौरान मीटर खराब होने की स्थिति में, रियायतग्राही द्वारा निशुल्क मीटर बदला जाएगा।

(5) अवैध संयोजन की दशा में नियमितीकरण एवं मीटर लगाने की प्रकिया उपविधियां 2017 के अनुसार की जाएगी। उपभोक्ता को नए संयोजन के लिए उपविधियां, 2017 के उपबंधों के अनुसार आवेदन देना होगा, तभी अवैध संयोजन वैध किया जाएगा और मीटर संस्थापित किए जाएंगे।"।

8. उपविधि 9 में खण्ड (1) (क) तथा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"(क) सभी फिटिंग तथा सर्विस पाइप, जो सर्विस पाइप से जोड़े जाएंगे तथा आवेदक के परिसरों तक समस्त कार्य रियायतग्राही द्वारा कराये जायेंगे।

"(ख) सभी पाईप ऐसे रखे व लगाए जाएंगे, ताकि उस पर गर्मियों का असर न हो और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए उपभोक्ताओं की पाईप फिटिंग को किसी प्रकार की क्षति न हो और न तो मल जल मिल जाने का खतरा हो न ही जल प्रदूषण होने का खतरा हो। पाईप को किसी भी भवन के अन्दर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि ड्यूटी पर मौजूद रियायतग्राही के कर्मचारियों की उस स्थान तक पहुंच हो सके। फिटिंग की सामग्री एवं पाइपों को उपयोग के पूर्व रियायतग्राही के प्रतिनिधि एवं निगम द्वारा मान्य कराना होगा। जल प्रदाय तब तक प्रारंभ नहीं किया जायेगा जब तक कि रियायतग्राही, के प्रतिनिधि एवं निगम ने उसे अनुमोदित न कर दिया हो।"।

9. उपविधि 14 में,–

(1) खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(एक) यदि यह पाया जाये कि सील निकाल ली गई है या तोड़ दी गई है या आंशिक रूप से मीटर क्षतिग्रस्त किया गया है तो खुदरा उपभोक्ता को रिसीलिंग फीस एवं रूपये 500 के जुर्माने का भुगतान करना होगा।

(2) सारणी में, टिप्पणी (3) के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात:–

"(3)अन्तवर्ती अवधि के लिये उपभोक्ताओं को प्रति संयोजन प्रतिमाह 200/– रूपये का एक समान जल प्रभार प्रभारित किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये आधा प्रभार प्रभारित किया जाएगा।"

(3) टिप्पणी(4) के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात्:–

"(4)बल्क दरें (मीटर रीडिंग द्वारा) निम्नानुसार होगी:

घरेलू संयोजन	11.95 रूपये प्रति किलो लीटर
संस्थागत संयोजन	17.90 रूपये प्रति किलो लीटर
वाणिज्यिक संयोजन	23.90 रूपये प्रति किलो लीटर
औधौगिक संयोजन	35.85 रूपये प्रति किलो लीटर

(एक) रियायतग्राही, मीटर रीकार्डिंग के 10 दिन के भीतर देयक (बिल) जारी करेगा। भुगतान के लिए अधिकतम समय 30 दिन होगा. विलम्बित भुगतान रियायतग्राही विलम्ब शुल्क के रूप में उपभोक्ता पर शेष राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह का प्रभार लगाएगा. विलम्ब शुल्क पर विलंब शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।

(दो) रियायतग्राही को संयोजन काटने का अधिकार है। यदि उपभोक्ता दो माह की कालावधि के भीतर देयक का भुगतान नही करता है तो रियायतग्राही निगम के पूर्व अनुमेदन से संयोजन काटने के लिए प्राधिकृत है।

(तीन) रियायतग्राही संयोजन राशि, शेष राशि और जल देयक राशि के भुगतान के पश्चात् जल संयोजन पुनःजोड़ देगा।

(चार रियायतग्राही जल प्रभार का प्रत्येक तीन वित्तीय वर्ष के पश्चात पुनर्निर्धारण, समिति और स्वतंत्र संपरीक्षक की देख–रेख में दी गई प्रतिबद्धताओं और शर्तों के अनुसार किया जाएगा। प्रभारों को बढ़ाने की प्रकिया रियायत के निबंधनों के अनुसार की जाएगी. पुनरीक्षित जल प्रभार मेयर इन कैंसिल तथा साधारण परिषद् की मंजूरी के पश्चात् लागू किए जाएंगे।

(पाँच) उपरोक्त के अलावा जल प्रभार, विद्युत प्रभारों की दर के अनुसार विद्युत स्त्रोत के अनुसार एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा कच्चे पानी के प्रभारों की दर के अनुसार बढ़ाया या कम किया जा सकता हैं।

(छह) उपभोक्ता प्रभार का नियमित संदाय किया जाएगा और जिसका कोई अधित्यजन नहीं होगा।

10. अनुबंध के खण्ड 8 एवं 17 का लोप किया जाए।

11. नवीन कॉलोनियों के लिये निदेशों के स्थान पर, निम्नलिखित निदेश स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–
"नवीन कालोनियों के लिए निर्देश –

(1) नवीन कालोनियों जिन्हें अनुज्ञा प्रदान की गई है या जिनके पक्ष में विकास प्रमाण–पत्र हैं कालोनियों के ऐसे कालोनाइजर को प्रत्येक भू–खण्ड पर वैयक्तिक संयोजन लेना होगा और ऐसे भू–खण्डों/भवनो पर आवश्यक रूप से एक वाटर मीटर भी लगाया जाएगा। निगम/रियायतग्राही द्वारा यथा विनिश्चत डायमीटर के भू–खंण्डो पर वितरण के लिए पाईप लाइन की ऐसी लागत का भुगतान कालोनाइजर को करना होगा । निगम को अन्य कालोनियों से ऐसे संयोजन के विस्तार का अधिकार होगा।

(2) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 {क्रमांक 23 सन् 1956} के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और साथ ही कालोनाइजर नियम के उपबंधों के अनुसार कालोनाइजर से कालोनी में जल प्रदाय व्यवस्था के लिए ओव्हर हेड वॉटर टंकी एवं जलस्त्रोतों का निर्माण करना न्यूनतम अपेक्षा होती है। चूंकि जलप्रदाय योजना काशहर में पी.पी.पी. मोड में संचालन हो रहा है। जिसमें रियायतग्राही के क्षेत्र में पूर्व में ही जल प्रदाय वितरण है। अतः कालोनाइजर को कालोनी के समतुल्य एक ओव्हर हेड वॉटर टैंक निर्माण ,नलकूप और पम्पिंग मोटर्स की राशि नगर पालिका निगम, खण्डवा मे जमा करना होगा या विशिष्ट परिस्थिति में कालोनाइजर या रहवासी संघ बल्क मे पानी क्रय करना चाहे तो उसके लिये निगम/रियायतग्राही की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।

Not. No 77/F 01-29/2014/18-3 Bhopal Dated 25 /07 / 2017

- :: Notification :: -

In exercise of the powers conferred by sections 427 and 430 read with sections 431 and 432 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the Municipal Corporation, Khandwa, hereby, makes the following amendments in the Water Metering and Regularization of Connection Byelaws, 2014 which was published in the Madhya Pradesh Gazette vide notification No. 90-F 1-20-2014-XVIII-3, dated 20th October, 2014, namely: -

AMENDMENTS

In the said byelaws, -

1. In byelaw 1, for clause (1), the following clause shall be substituted, namely:-

    "(1) These byelaws may be called the Water Metering and Regularization of Connection Byelaws, 2017.".

2. In byelaw 2, for clause (q), the following clause shall be substituted, namely: -

    "(q) "Price Review Committee" means committee consisting of 4 members, (1) the Commissioner/Chief Account Officer, (2) the KMC Engineer, (3) Municipal Chief Auditor and (4) one representative of the Concessionaire;".

3. For byelaw 3, the following byelaw shall be substituted, namely: -

    "3. Duties of concessionaire- The Municipal Corporation, Khandwa is issuing these byelaws under sub-section (c) of section 220 read with section 221 to 239 and 241 to 245 of the said Act. The Corporation enters into agreement with the Concessionaire. The Corporation enters into agreement with the Concessionaire for discharge of the following duties and obligations and for exercise the following rights and powers for operation and maintenance of water supply.

    (a) The Corporation, shall hand over the water supply and distribution system to the Concessionaire on the intended "Commercial Operation Date" (COD). From the COD, the function of charging and collecting water charges from consumers on monthly basis shall be done by the

Concessionaire. After expiry of concession period the Concessionaire shall transfer this system in good, running condition (which shall be determined, organized and empowered by a committee consisted by the Corporation, which shall have the representatives of Concessionaire) without any liabilities.

(b) The Concessionaire shall provide water supply to all the consumers for duration of 24 x 7 with residual pressure up to the height of 12 meters at service point. It shall be the responsibility of the Concessionaire to ensure and maintain the distribution system in such a way that the consumer can draw water with minimum 135 liters per capita per day in supply hours. The required repairing/rectification shall be completed within 3 days of complaint at the cost of the complainant.

(c) The Concessionaire shall ensure that all consumers are metered by the start of Commercial Operation Date. The Concessionaire shall serve monthly bills to the consumers according to the reading of the water meter as specified in Table in clause 14(3) or flat rate. The water charges shall be revised from time to time as per concession agreement. In addition to bill, water charges shall include the meter cost and reconnection charges as specified in Table mentioned in clause 7(2).

(d) In the entire municipal corporation area pure and filtered water shall be supplied as per provision of "CPHEEO-Manual on Water Supply and Treatment May, 1999". This water supply shall be done as per guidelines specified in I.S. 10500 (As amended).

(e) The entire distribution system has been divided into 10 zones. Each zone served preferably by an overhead Elevated Service Reservoir (ESR). Whole Municipal Corporation area shall be divided into 10 zonal offices, out of these zonal offices one shall be the head office of the Concessionaire. In all zones and the main office, the complaints shall be heard and redressed. The bills of consumers shall be distributed from here and also water charges shall also be collected.

(f) Every consumer shall have to enter into an agreement (consumer agreement) with the Corporation, for supply of water to his premises, which shall be facilitated by the concessionaire. Current legal consumers shall not be charged any fees for new agreement.

(g) The Corporation shall convert all the illegal connections into the legal connections. The concessionaire shall provide complete assistance to the Corporation in converting all illegal connections into the legal connection.

(h) The Concessionaire shall have authority for water supply, collection of water charges, installation charges of meter and disconnection. All above works shall be done under the supervision of Municipal Corporation.

(i) The Concessionaire shall have absolute authority to supply water in corporation area of Khandwa. It is agreed that there shall be no commission of any similar system competing by way of construction of a new facility or augmentation of capacities of existing facilities. It means any similar competing facilities for water supply and distribution within corporation shall not be allowed. Individual tube well of owner shall not be closed. It shall not be taken over by the Corporation or Concessionaire and individual owner may provide supply of water free of charge to other for domestic use only. All public well, pond and hand pump shall remain in operation in the existing practice. These facilities shall not be handed over to the Concessionaire.

(j) All the Operation and Maintenance works of water supply by the Concessionaire shall be done under the supervision of Corporation. All complaints of the consumer shall be redressed by Concessionaire. If the complaints are not redressed by the Concessionaire, then it shall be redressed by Corporation as per agreement.

(k) All conditions clauses and Schedules of "Concessionaire Agreement" between Corporation and Concessionaire shall be applicable under these Byelaws.

(l) There shall not be a system of non-revenue in this water supply scheme. But for religious and social works on the appropriate places and time, the Corporation shall supply the water as per the present system of water supply. The Corporation shall also supply water for the gardens, pyaau, fire brigade and public utility washrooms as per the present system of water supply. These type of consumers shall be independent to use the resources regarding water supply and Corporation and concessionaire shall not make it to their subjection, but these consumers shall, in no way provide supply of water to others on the payment basis.

(m) From the date of publication in the Gazette till the the commercial operation date the period shall be called transition period. During this time the meter shall be installed in valid connections and illegal connections shall be regularized and meters shall be installed.

(n) The Concessionaire shall start the work of establishing meter and regularization of invalid water connections and providing them meters as per the below mentioned terms:-

(i) The Concessionaire shall start the work of establishing meter and regularization of invalid water connections and providing them meters.

(ii) The Concessionaire shall put its labour and staff for regularization of assembling the water connections, serving notice and establishing meters in the premises of the consumer

(iii) In the case of such household consumers, who does not agree to take meter from the Concessionaire, the Corporation will complete the process otherwise the flat rate will be charged at the rate of 200.00 rupees per month, which would be half in case of BPL consumer. Which may be revised by the Tariff Monitoring Committee from time to time.

(iv) The Concessionaire shall keep the record of regularization of invalid water connections, establishment of consumers' meter and recovery of the balance amount.

(v) Concessionaire shall raise bill for meter installed in consumers premises and will be submitted to the corporation for reimbursement.

(vi) The concessionaire shall keep the 10% of meters and other spares as stand by unit.".

4. For byelaw 4, the following byelaw shall be substituted, namely: -

"4. The main functions of the Corporation-

(a) The Corporation shall prepare and announce an Amnesty plan for regularizing illegal water connections with installing water meters within a period of 6 months from Gazette Notification. This period shall be called Amnesty Period. During this period for the installation of meters the consumers shall be charged a Flat rate as per amendment in byelaws.

(b) From the date of gazette notification, the Corporation, shall help the concessionaire to put up the meter. The Corporation shall regularize illegal connections with the help of concessionaire. Under this process applications shall be received from the consumer and the process of making agreement shall be done. All the applications with the fees shall be submitted and deposited in the office of Corporation. For this work,

(i) Application for water connection shall be submitted and a permission shall be granted by the Corporation itself.

(ii) Cost of meter and water connection charges shall be deposited in the account of Corporation and concessionaire.

(iii) The Corporation shall provide the list of consumers with the information of their address, caution money and balance amount to the concessionaire.

(iv) The Corporation shall help the staff and labours of concessionaire agency for issuing notices of regularization of water connections.

(v) In case the consumer has any disputes or disagreement with the staff and labours of concessionaire to establish the meter, the Corporation, shall redress the said dispute.

(vi) The Corporation, on every quarterly period shall transfer the cost and establishment charge (in accordance with Table-B as determined per meter) to the concessionaire.

(vii) The corporation shall receive and deposit all the arrears of water charges up to the commercial operation date from the date of publication in the Gazette.

(c) Function to be Performed Jointly by the Corporation and the Concessionaire

(i) All the valid/invalid water connections of Corporation shall be regularized and meter shall be established upto the commercial operation date.

(ii) Under this water supply scheme the establishment and development of meter shall work together for the benefit of the consumer so that the consumer may take interest for establishing meter. For such working process the Corporation, and concessionaire shall be agreed respectively.

Explanation: For this purpose, two demonstration zones shall be established, wherein maximum meter connections shall be established, but there shall be no compromise in quality and quantity of water supply.

5. In byelaw 5,-

(1) for existing heading the following heading shall be substituted, namely:-

"Levies of charge and water charges"

(2) For clause (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(1) Any individual or organization may submit an application to the office of Corporation/Concessionaire for permanent/new temporary water connection or transfer of present water connection or for a change in the water connection.".

6. In byelaw 6, for clause (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(1) After the new connection is approved, the concessionaire will have to give a water connection to the consumer within a limit of 15 days of such approval.".

7. In byelaw 7, for clause (4) and (5), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(4) The process of establishing meter shall be in accordance with the water metering and regularization of water connection bye-laws 2017. The consumer shall deposit an amount of caution money to the office of Corporation and shall receive a receipt thereof. After examining the receipt, the Municipal Corporation and concessionaire shall inform the applicant for fixing up a meter. For installation of meter the requisite cost and wages shall be borne by the concessionaire which shall be reimbursed by Corporation. Warranty of newly fixed meter shall be for one year and in case of meter failure during the warranty period it shall be replaced by the Concessionaire without any cost.

(5) In cases of invalid connection the process of regularization and metering shall be done in accordance with Bye-laws, 2017. Consumer have to apply for new connection in accordance with the provisions of Bye-laws, 2017, then only

the invalid connection shall be made valid and the meter shall be installed.".

8. In byelaw 9, in clause (1), for sub-clause (a) and (b), he following sub-clauses shall be substituted, namely :-

"(a) All fittings and service pipes shall be connected from the service pipe and all work will be done by the concessionaire to the applicant's premises;

(b) All the pipes should be kept or fixed in a manner that they should not be affected by the summer heat and it has to be ensured that fitting and pipeline of consumers are not damaged neither it should not be in danger of getting mixed with the drainage water nor there should be a danger of water pollution. Pipe should be fixed inside the house in a manner that the on duty employees of the concessionaire may have approach up to that place. Before using the material of fitting and pipe it shall be passed and sanctioned by the representative of concessionaire and Corporation. The water supply shall not start up to the time that the representative of concessionaire and Corporation has approved the same.".

9. In byelaw 14,-

(1) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) If it is found that seal has been removed or broken or partially the meter has been damaged, then retail consumer has to pay the resealing fees and a fine of Rs. 500/-.".

(2) in the table, for note (3), the following note shall be substituted, namely:-

"(3) For the transition period the consumer shall be charged a flat water charge of Rs. 200/- per month per connection. The families of below poverty line shall be charged half.".

(3) For Note (4), the following note shall be substituted, namely:-

"(4) Following shall be the bulk rate (By meter reading):-

Domestic connection	-	Rs. 11.95 per kilolitre
Institutional connection	-	Rs. 17.90 per kilolitre
Commercial connection	-	Rs. 23.90 per kilolitre
Industrial connection	-	Rs. 35.85 per kilolitre -

(i) The concessionaire shall issue the bill within 10 days of meter recording. The maximum time for payment shall be 30 days. On delayed payment the concessionaire shall charge 1 percent per month on the balance amount of the consumer as a late fee. Late fees cannot be charged on the late fees.

(ii) The concessionaire has a right of disconnection. If the consumer does not pay the bill within a period of two months, the concessionaire is authorized for disconnection with a prior approval of the Corporation.

(iii) The concessionaire shall reconnect the water connection after payment of connection amount, balance amount and water bill amount.

(iv) The concessionaire shall be revised the water charges after each of three financial years, will be done according to the terms and conditions given in the monitoring of the committee and the independent supervisor. Process of revises water charges shall be made in accordance with the terms and conditions Concessionaire. The revised water charges shall be implemented after sanction of Mayor-in-Council and General Assembly.

(v) Apart from the above, the water charges can be increased or decreased as per the tariff of electricity charges, as per source of electricity and as per the revision of raw water charges by Narmada Valley Development Authority.

(vi) Consumer charge shall be paid regularly and their shall be no waiver of the same.".

11. In Agreement, clause 8 and clause 17 shall be deleted.

12. For the Directions for the New Colonies, the following shall be substituted, namely:-

" Directions for the New Colonies-

(1) The new colonies which have been granted permissions or have the certificate of development in their favour, such colonizers of the colony shall have to take individual connections on every plot and a water meter shall also be installed on such plots/houses compulsorily. The colonizer has to pay such cost of pipe line for distribution to the respective plots of specified diameter as decided by Corporation/ concessionaire. The Corporation shall have right to extend such connection to the other colonies.

(2) In accordance with the provisions of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and rules made thereunder as well as under the provisions of Colonizers rules, it is the minimum requirement for the colonizer to construct an over head tank or water sources for water supply. As the said water supply scheme is being operated under PPP mode with the distribution of water already in the scope of concessionaire, the colonizers shall for shall deposit with the constructions costs of Overhead water tank, boring and motor pump to the Municipal Corporation as per the approved rates of such arrangement. In the special condition colonizer or union of residence demand bulk supply, it shall take actions according to the recommendation of the corporation/ concessionaire.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.